सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1122/UP/12/2022-ESDW **दिनांक: 27.11.2024**

श्री मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
101, 'बी' ब्लॉक, लोक भवन,
उत्तर प्रदेश सचिवालय,
लखनऊ – 226001, उत्तर प्रदेश
ई-मेल: csup@nic.in

विषय: गोंड समुदाय जिसका अपभ्रंश शब्द गोंडिया उपजाति धुरिया को गौंड नाम से जाती प्रमाण पत्र जारी करवाने के संबंध मे श्री श्रीपाल गोंड, महासचिव, भारतीय गोंड कल्याण/आदिवासी विकास संस्थान, प्रधान कार्यालय, ग्राम-अलीपुर, पोस्ट-श्री राम वन कुटीर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का दिनांक 05.11.2022 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1 : आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 13.01.2023.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में **दिनांक 04.12.2024 को अप्राहन 02:00 बजे** सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी
ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वैबसाइट पर अपलोड हेतु।

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1122/UP/12/2022-ESDW **दिनांक: 27.11.2024**

श्री उपेंद्र सिंह रावत,
माननीय सांसद (लोक सभा),
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश,
बी-403-ए, गोमती एम. एस. फ्लैट्स,
बाबा खड़क सिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110001

श्री श्रीपाल गोंड,
महासचिव,
भारतीय गोंड कल्याण/आदिवासी विकास संस्थान,
प्रधान कार्यालय, ग्राम- अलीपुर,
पोस्ट-श्री राम वन कुटीर, बाराबंकी,
उत्तर प्रदेश

विषय: गोंड समुदाय जिसका अपभ्रंश शब्द गोंडिया उपजाति धुरिया को गौंड नाम से जाती प्रमाण पत्र जारी करवाने के संबंध मे श्री श्रीपाल गोंड, महासचिव, भारतीय गोंड कल्याण/आदिवासी विकास संस्थान, प्रधान कार्यालय, ग्राम- अलीपुर, पोस्ट-श्री राम वन कुटीर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का दिनांक 05.11.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय अध्यक्ष (श्री अंतर सिंह आर्य) ने आपके मामलें में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ **दिनांक 04.12.2024 को अप्राहन 02:00 बजे** आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग/सुनवाई तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अत: आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी
ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वैबसाइट पर अपलोड हेतु।